दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... मे ...

29.3.22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ग्राम मांडल में आ०न० 1851 रकबा 0.1654 है० व ग्राम गंगा का खेड़ा पटवार हल्का मांडल 2 में आ०न० 732 रकबा 0.9611 हैक्टर, आ०न० 733 रकबा 0.0632 हैक्टर, आ०न० 748 रकबा 0.1012 है०, आ०न० 749 रकबा 0.5959 है०, आ०न० 750 रकबा 0.4806 है०, आ०न० 752 रकबा 0.3667 है०, आ०न० 753 रकबा 0.9991 है०, आ०न० 759 रकबा 0.6829 है०, आ०न० 760 रकबा 0.5944 है०, आ०न० 9704/755 रकबा 0.2150 है० कुल कीता 10 कुल रकबा 4.9701 हैक्टर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात में से मांडल की आराजीयात में स्व० सायरा बानू पत्नि बाबू खां का 1/3 तथा गंगा का खेड़ा की आराजीयात में 1/18 हिस्सा निहित है। सायरा बानू के प्रार्थी गोदपुत्र होकर सायरा की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हुआ जिसकी प्रति पेश की है। बाबू खां व सायरा बानू फौत हो चुकी है। इनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पत्ति व कृषि भूमि को प्रार्थी के पक्ष में दान कर दी थी व प्रार्थी को गोद/ओल्य पुत्र रखा। आज भी सायरा के हिस्से की आराजीयात पर प्रार्थी गोदपुत्र की हैसियत से काबिज है परन्तु रिकॉर्ड में सायरा का नाम चला आ रहा है इसे अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए अलग से सिविल के न्यायालय में घोषणा का वाद पेश कर रखा है। प्रार्थी मृतक सायरा पत्नि बाबू खां का गोद पुत्र है इसकी पुष्टि में दिनांक 3/5/2007 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र 151/2021 कासम खां बनाम नजीर खां वगैरह.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के मध्य लिखा गया समझौता पत्र, बी०पी०एल० कार्ड सायराबानो के नाम से बनाया उसमें कासम का नाम दर्ज है, सायरा के फौत होने पर इसकी समस्त कार्यक्रम (पं० दिनेश) (पं० कारियावर) किए उसमें (नियाजमंद) प्रार्थी कर्ता के रूप में कासम प्रार्थी का नाम दर्ज है पत्र में नल कनेक्शन है वह भी कासम खां पिता बाबू खां के नाम जारी है इस प्रकार प्रार्थी ही एक मात्र स्वर्गीय बाबू खां व सायराबानो का विधिक वारिस होकर उनके हिस्से व कब्जे की भूमि पर काबिज है परन्तु अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी को सायराबानो के हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने व रहन बय विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करने व कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी का सायराबानो की जायदाद में अकेले का हक हिस्सा नहीं है इसमें हम सभी अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में अंकित सजरे अनुसार अप्रार्थी नजीर, चांद खां पिता अलाउद्दीन ~~का 1/6 1/6~~ एवं अप्रार्थी सं० 3 लगायत 8 प्रत्येक का 1/24 प्रत्येक का मांडल की भूमि में तथा गांगा का (बेड़ा) की भूमि में प्रत्येक का 1/144 हिस्सा बनता है इसी अनुसार अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र की आड में सायराबानो की भूमि को हड़पना चाहता है अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।	

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया जिससे निम्न तथ्य जाहिर आए- 1-प्रार्थी बाबूखां व सायराबानो का गोद पुत्र होने के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 8/8/2007 को पारिवारिक समझौता पत्र लिखा गया जिसकी फोटो प्रति पेश की जिसमें द्वितीय पक्ष कासम वल्द अलादीन खां गोदपुत्र बाबू खां भोमीया निवासी मांडल दर्ज है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 7 के सहमति के हस्ताक्षर है इस प्रकार प्रार्थी मृतक बाबू खां का पुत्र होकर उत्तराधिकारी है। इसके खण्डन में अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का साक्ष्य। दस्तावेज पेश नहीं किया है ~~प्रार्थी~~ स्वर्गीय सायराबानो ने अपना बी०पी०एल०कार्ड सेनसस 2002 बनाया जिसमें परिवार के सदस्य के रूप में स्वयं प्रार्थी कासम व इनके परिवार के सदस्यों के नाम इस कार्ड में दर्ज कराया। उक्त आवेदन क्रमांक 0886132 की प्रस्तुत फोटो प्रति से प्रतीत होता है जब सायरा बानो का देहान्त हुआ जिसका क्रियाकर्म (पगदिन व कादियावर) किए जाने के सम्बन्ध में शोक पत्रिका समाज में जारी की उसमें कर्ताधर्ता के रूप में प्रार्थी का नाम दर्ज है, जो पत्रावली में प्रस्तुत शोक पत्रिका की फोटो प्रति से सिद्ध होता है प्रार्थी स्वर्गीय बाबूखां व सायराबानो का उत्तराधिकारी है इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने जलदाय विभाग के नल कनेक्शन का बिल पेश किया जिसमें भी कासम खां पिता बाबू खां भोमीया नि० मांडल दर्ज है। इसी प्रकार स्वर्गीय सायरा बानो का ग्राम मांडल में मकान स्थित है जिसके बिजली का बिल भी पेश किया जिसमें सायरा बानो पति बाबू खां के नाम का है परन्तु सायरा बानो के मकान का उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र 15/2021 कासम खां बनाम नजीर खां वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी करता आ रहा है व बिजली के बिल का भुगतान प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। स्वर्गीय सायराबानो के मकान का पट्टा एवं रजिस्ट्री भी प्रार्थी की पत्नि आबिदा पत्नि कासम खां भोमीया नि० मांडल के नाम ग्राम पंचायत मांडल ने जारी किया जिसकी फोटो प्रति पेश की। इस प्रकार समस्त दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि स्वर्गीय सायरा की चल व अचल भूमियों का उत्तराधिकारी एक मात्र कासम पिता अलादीन गोदपुत्र बाबू खां भोमीया नि० मांडल होकर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है।	
	2- सुविधा संतुलन:- वादवर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण वादवर्णित आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे व खुर्द बुर्द कर देंगे तो प्रार्थी का वाद करना व्यर्थ हो जाएगा तथा पक्षकारान में व्यर्थ की मुकदमे बाजी बढ़ेगी ऐसी स्थिति में सुविधा की दृष्टि से ग्राम मांडल की आ०न० 1851 व ग्राम गांगा का खेड़ा की आ०न० 732-733-748-749-750-752-753-759-760-970/755 कीता 10 कुल रकबा 5.9701 हैक्टर से प्रार्थी के कब्जे में स्वर्गीय सायराबानो के हक हिस्से से बेदखल नहीं करने व किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को रहन बय बख्शीस नहीं किए जाने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा
	3- अपूरणीय क्षति:- प्रथम दृष्टया प्रकरण व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सुविधा-संतुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मंडल की आ०न० 1851 रकबा 0.1644 है०, व ग्राम ~~मांडल~~ गांगा का खेड़ा त० मांडल की आ०न० 732 रकबा 0.9611 हैक्टर, आ०न० 733 रकबा 0.0632 है०, आ०न० 748 रकबा 0.1012 है०, आ०न० 749 रकबा 0.5059 है०, आ०न० 750 रकबा 0.4806 है०, आ०न० 752 रकबा 0.3667 है०, आ०न० 753 रकबा 0.9991 है०, आ०न० 759 रकबा 0.6829 है०, आ०न० 760 रकबा 0.5944 है०, आ०न० 9704/755 रकबा 0.2150 है० कुल कीता 10 कुल रकबा 4.9701 हैक्टर में से प्रार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल नहीं करे तथा भूमि का वाद के निस्तारण तक अन्य किसी प्रकार से रहन बय बख्शीस न स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा